

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर

पत्रांक1.8.7.7...../ वीरपुर,

दिनांक0.4/06/2021.....

नोटिस

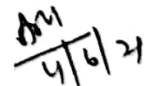
सेवा में,

MAA CONSTRUCTION
PROP - GITA DEVI.
Madhubani.

पथ का नाम	Rajdhani Ke Ghar Se Dom Tola Harihar Dom ke Ghar Tak.
शीर्ष	MMGSY(SC)
एकरारनामा संख्या	01 SBD /2016-17

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण का एकरारनामा अधोहस्ताक्षरी के साथ किया गया है। निर्मित पथ अनुरक्षित नहीं है। कुछ जगहों पर सतह के अनुरक्षण की आवश्यकता है। Road Shoulder भी कई जगह क्षतिग्रस्त है। पुलियों के Vent की सफाई की आवश्यकता है। Road Furniture के अनुरक्षण की जरूरत है। तीन दिनों के अंदर उक्त अनुरक्षण कार्य पूर्ण किया जाय, अन्यथा SBD के Conditions of Contract के Clause 3 और 17 के आलोक में एकरारनामा विखण्डित करते हुए अन्य संवेदक द्वारा अथवा विभागीय रूप से अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा और अनुरक्षण की अतिरिक्त राशि आपसे वसूल की जाएगी। निबंधन नियमावली के आलोक में आप का निबंधन काली सूची में नामित किया जाएगा। अतः उक्त अनुरक्षण कार्य की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, वीरपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर

पत्रांक 1056 / वीरपुर,

दिनांक 04/06/2024

नोटिस

सेवा में,

MAA CONSTRUCTION
PROP GITA DEVI, Madhubani.

पथ का नाम	(i) House Of Fulo Mandal to PMGSY Road House Of Daud (ii) House of Sushil Mehta To House of Rajender Mehta (iii) House Of Taslim Safi To RWD Road House of Jahur Alam (iv) House Of Suresh Ram to Hab MMGTSY 3971
शीर्ष	GTSNY
एकरारनामा संख्या	(1 / 89 SBD / 19-19 (ii) 17 SBD / 2018-19 (i) 16 SBD / 2018-19

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पथ का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण का एकरारनामा अधोहस्ताक्षरी के साथ किया गया है। निर्मित पथ अनुरक्षित नहीं है। कुछ जगहों पर सतह के अनुरक्षण की आवश्यकता है। Road Shoulder भी कई जगह क्षतिग्रस्त है। पुलियों के Vent की सफाई की आवश्यकता है। Road Furniture के अनुरक्षण की जरूरत है। तीन दिनों के अंदर उक्त अनुरक्षण कार्य पूर्ण किया जाय, अन्यथा SBD के Conditions of Contract के Clause 3 और 17 के आलोक में एकरारनामा विखण्डित करते हुए अन्य संवेदक द्वारा अथवा विभागीय रूप से अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा और अनुरक्षण की अतिरिक्त राशि आपसे वसूल की जाएगी। फिर निबंधन नियमावली के आलोक में आप का निबंधन काली सूची में नामित किया जाएगा। अतः उक्त अनुरक्षण कार्य की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

म. ग. म.

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, वीरपुर